राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(35) ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.का./पार्ट–2/2011 जयपुर, दिनांकः– 11 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूर्ण /प्रगतिरत कार्यों के फोटोग्राफ एम.आई.एस. पर अपलोड करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एम.आई.एस. की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित फोटोग्राफ वेबसाईट पर अपलोड नहीं किये जा रहे हैं। तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के पैरा सं. 18 पर कार्यों की फोटो संधारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार कार्यों की कम से कम तीन स्तर पूर्व, मध्य व अंतिम स्थिति को स्पष्ट दर्शाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य की 6" X 4" साईज की रंगीन फोटो तीन प्रतियों में कार्यकारी संस्था द्वारा ली जावेगी।

इसी प्रकार अपना खेत अपना काम योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 6(vii) में भी उल्लेख है कि "लाभार्थी की भूमि की वस्तुस्थिति का दिनांकित फोटोग्राफ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्ण होने पर आवश्यक रूप से लिया जावे एवं उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जावे।

उक्त फोटोग्राफ को भारत सरकार की नरेगा वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिये हुए है। इस सम्बन्ध में एम.आई.एस. मैनेजर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यों के फोटो अपलोड करने हेतु उन्हें उपलब्ध नहीं करवाये जाते है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि :–

(i) अब तक पूर्ण हो चुके/प्रगतिरत कार्यों के कार्य शुरू होने, मध्य अवधि तथा कार्य समाप्ति के समय के फोटोग्राफ एम.आई.एस. पर अपलोड करने हेतु सभी तकनीकी अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें।

(ii) अपना खेत अपना काम योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में से प्रत्येक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को आवंटित ग्राम पंचायतों के कार्यों के फोटोग्राफ स्केन करवा कर अविलम्ब इन्हें विभागीय वेबसाईट www.nrega.nic.in पर अपलोड किया जावे।

कृपया तद्नुसार सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(i) अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक– प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
(ii) अधिशाषी अभियंता (ईजीएस), जिला परिषद, समस्त।
(iii) जिला एम.आई.एस.मैनेजर, जिला परिषद, समस्त, कृपया सभी ब्लॉक एम.आई.एस. मैनेजर तथा डी.ई.ओ. को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
(iv) एम.आई.एस. मैनेजर, मुख्यालय जयपुर।

अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस